प्रेस-विज्ञप्ति

26 अक्टूबर, 2017

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 समय सायं 04:30 *बजे* से "जी.एस.टी. कौंसिल के द्वारा किये गए विभिन्न संशोधनों के बाद भी कई अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है", इस सम्बन्ध में प्रेस को सूचित करने के लिए एक वार्ता का आयोजन किया गया।

उक्त प्रेस-वार्ता को मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी, उपाध्यक्ष श्री बी.एम.गर्ग, चैम्बर द्वारा गठित ट्रेड कमिटी के चेयरमैन श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, जी.एस.टी. कमिटी के चेयरमैन अधिवक्ता-संतोष कुमार गुप्ता तथा जी.एस.टी. कमिटी के सलाहकार अधिवक्ता-नरेन्द्र शर्मा ने उपरोक्तलिखित विषय पर संबोधित किया।

उकता प्रेस-वार्ता में निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तारपूर्वक बताया गया :

जी0एस0टी0 से कारोबारियों एवं सेवा प्रदाताओं की परेषानियाँ

1. जी0एस0टी0एन0 पोर्टल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। डाटा अपलोडिंग में त्रुटियाँ स्वंय पोर्टल कर रहा है। डाटा कुछ अपलोड किया जाता है। पोर्टल डाटा तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ अलग प्रदर्षित करता है। समाधान योजना अपनाने वाले कारोबारियों के त्रैमासिक रिटर्न के स्थान पर मासिक रिटर्न दाखिल करना पोर्टल दिखा रहा है। अतः सरकार को जी0एस0टी0एन0 पोर्टल बनाने एवं चलाने वाली कम्पनी इन्फोसिस को इस दिषा में सुधार हेतु आवष्यक कदम उठाने हेतु सुनिष्चित करना होगा। तभी जी0एस0टी0 की पटरी ऑनलाईन सुचारू रूप से कार्य कर सकेगी।

2. जी0एस0टी0 के रिटर्नों का रिवाईज करने की सुविधा सरकार को उपलब्ध करानी होगी। इस हेतु कानूनों व नियमों में संषोधन की आवष्यकता है। पोर्टल की त्रुटियाँ या स्वंय कारोबारियों की त्रुटि से गलत आँकड़े फीड किये जाने के कारण अनाप–षनाप टैक्स धनराषि की देयता जी0एस0टी0 के रिटर्न फार्म–3बी में पोर्टल जनित कर देता है। यदि इस धनराषि को जमा न किया जाय। तब फॉर्म–3बी दाखिल नहीं हो पा रहा है। अतः डाटा को एडिट करने की सुविधा देनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि रिटर्न अपलोड करते समय कोई त्रुटि हो गयी है या आँकड़े फीड करने से रह गये हैं। तब पूर्ववर्ती वाणिज्यकर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर में भी रिटर्नो को रिवाईज करने के कानून लागू एवं प्रभावी थे। उसी तरह जी0एस0टी0 में एक माह से दूसरे माह के रिटर्न दाखिल होने तक रिवाईज करने की सुविधा प्रदान करनी होगी। अन्यथा ऑनलाईन प्रक्रिया के कारण करदाता एवं सेवा प्रदाता अनावष्यक परेषानियों एवं वित्तीय भार का सामना कर रहे हैं।

3. इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्यता के नियमों में सबसे बड़ी विसंगति यह है कि यदि विक्रेता व्यापारी ने अपने जी0एस0टी0 का रिटर्न फार्म–1 विधिक रूप से सही दाखिल नहीं किया अर्थात रिटर्न दाखिल करने के समय यदि उसके द्वारा देय जी0एस0टी0 जी की कोई धनराषि जमा नहीं की जाएगी। तब क्रेता को उस खरीद पर आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होगी। इस नियम से क्रेता व्यापारी परेषान है। उसके द्वारा विक्रेता को भुगतान भी कर दिया जाता है। यदि विक्रेता जी0एस0टी0 की धनराषि का भुगतान नहीं करता है। तब कानूनों एवं नियमों में संषोधन कर धनराषि वसूल करने की

कार्यवाही उसी के खिलाफ की जानी चाहिए न कि क्रेता व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ से वंचित रखा जाय। विक्रेता पंजीकृत व्यापारी है। उसकी पूरी पहचान पंजीकरण के समय विभाग के पास मौजूद है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वसूली उससे कैसे सम्भव हो।

4. रिवर्स चार्ज धारा 9(4) हमेषा के लिये समाप्त किया जाय – जी0एस0टी0 की धारा 9(4) के तहत यदि पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति से खरीद करता है अथवा अपंजीकृत से सेवाएं प्राप्त करता है। तब पंजीकृत व्यापारी को नियमानुसार कर दरों के अनुरूप जी0एस0टी0 की धनराषि जमा कराने की स्वंय जिम्मेदारी है। यदि यह धनराषि चालान के माध्यम से सरकारी कोश में जमा कर दी जाती है। तब उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पंजीकृत व्यापारी को अनुमन्य है।
इस कानून के कारण सबसे बड़ी परेषानी यह पेष आ रही है कि कारोबारी को समस्त खरीद, खर्चों एवं सेवाओं को प्राप्त करने के मामले में जी0एस0टी0 के दायित्व का निर्धारण करना एक मकड़जाल के समान जटिल है। क्योंकि उन पद विभागीय अधिकारी टैक्स एवं ब्याज की वसूली कार्यवाही कर सकते हैं। उधर दूसरी ओर इसकी समाप्ति से सरकार के राजस्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण बड़ा साफ एवं स्पश्ट है कि यदि इस अपंजीकृत खरीद, खर्च एवं सेवा पर व्यापारी यदि जी0एस0टी0 जमा कर देता है। तब इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे अनुमन्य है। बिक्री पर देय जी0एस0टी0 की धनराषि में से यह इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन हेतु घटा दिया जाता है। षेश धनराषि ही जमा करानी होती है। जब इस अपंजीकृत खरीद एवं सेवा पर टैक्स नहीं होगा। तब इनपुट टैक्स समायोजन हेतु उपलब्ध भी नहीं होगा। परिणामस्वरूप बिक्री पर पूरी देय जी0एस0टी0 की धनराषि कारोबारियों एवं सेवा प्रदाताओं को जमा करानी होगी। अतः राजस्व की प्राप्ति पर कोई असर नहीं होगा। इस नियम को समाप्त करने से कारोबारियों एवं एवं सेवा प्रदाता को एक बड़ी राहत होगी। अभी सरकार ने 31 मार्च 2018 तक इस कानून के कियान्वयन को षिथिल किया गया है। किन्तु इस कानून को हमेषा के लिए समाप्त किये जाने की आवष्यकता है।

5. अग्रिम धनराषि पर जी0एस0टी0 की करदेयता : जी0एस0टी0 कानूनों के तहत यदि बिक्री या सेवा के मद में पंजीकृत कारोबारी या सेवा प्रदाता को अग्रिम धनराषि प्राप्त होती है। तब उस पर नियमानुसार कर की दरों के अनुरूप जी0एस0टी0 उसी समय जमा करानी होगी। यह नियम भी व्यवहारिक एवं तर्कसंगत नहीं है। प्रथमता जब कारोबारी बिक्री करेगा अथवा सेवा प्रदान करेगा तब टैक्स इनवायस जारी कर पूर्व धनराषि पर जी0एस0टी0 की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। ऐसी स्थिति में अग्रिम धनराषि में टैक्स वसूल किया जाना सही नहीं है। अनेक परेषानियों एवं विसंगतियों को जन्म देगा। अभी सरकार ने डेढ़ करोड़ तक वार्शिक विक्रय धन वाले कारोबारियों को इससे मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। किन्तु इस कानून से अन्य सभी कारोबारियों एवं सेवा प्रदाताओं को मुक्त किये जाने की आवष्यकता है।

6. एच0एस0एन0 कोड की समाप्ति जी0एस0टी0 में एच0एस0एन0 कोड माल की खरीद एवं बिक्री पर पोर्टल डाटा अपलोड करने हेतु अनिवार्य व्यवस्था के रूप में सामने आया है। सरकार ने डेढ़ करोड़ तक विक्रय धन वाले कारोबारियों को एच0एस0एन0 कोड बिक्री के इनवायस में अंकित करने से मुक्त रखा है। डेढ़ करोड़ से पाँच करोड़ वाले कारोबारियों को दो डिजिट तक अंकित करना अनिवार्य किया है और पाँच करोड़ से अधिक वाले कारोबारियों को चार डिजिट अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है। किन्तु पोर्टल सभी खरीद एवं बिक्री अनलोड करने हेतु बिना एच0एस0एन0 कोड के डाटा अपलोड नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एच0एस0एन0 कोड के आधार पर जी0एस0टी0 की दरें तय नहीं की गयी हैं। जी0एस0टी0 की दरें छैः षेड्यूल के तहत वर्गीकृत एवं उस पर वर्णित वस्तुओं के अनुसार निर्धारित की गयीं हैं। ऐसी स्थिति में एच0एस0एन0 कोड के अंकित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही

करदेयता से कोई सम्बन्ध है। अतः एच0एस0एन0 कोड अंकित करने की अनिवार्यता समाप्त करने से ही कारोबार करने में राहत मिलेगी।

7. लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों की करमुक्ति सीमा में बढ़ोत्तरी – देष की लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को डेढ़ करोड़ तक छूट अनुमन्य थी। अब जी0एस0टी0 में यह छूट घटकर बीस लाख रह गयी है। अतः उनके उत्पाद पर करदेयता के कारण लागत में वृद्धि हो गयी है। भारी–भरकम पूँजी वाली राश्ट्रीय एवं बहुराश्ट्रीय कम्पनियां उनके कारेाबार को प्रभावित कर रहीं हैं। लागत, गुणवत्ता नियन्त्रण उनके पास अच्छा है। जब कि देषी एवं लघु औद्योगिक इकाईयाँ कर की धनराषि से ही उनसे प्रतिस्पर्धा कर कारोबार करने में सक्षम थीं। अब यह अन्तर समाप्त हो गया है। कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। अतः सरकार को उनके व्यापक हितों में करमुक्ति एव ंरियायतों की सूविधाएं उपलब्ध करानी होगी। ताकि उन्हें कारोबार करने में परेषानी पेष न हो।

8. जी0एस0टी0 काउन्सिल में कारोबारियों व चैमबर का प्रतिनिधित्व – जी0एस0टी0 काउन्सिल में केन्द्रीय वित्त मन्त्री, राजस्व सचिव एवं सभी राज्यों के वित मन्त्रियों का प्रतिनिधित्व है। किन्तु देष के उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को स्थान नहीं दिया गया है। इस कारण जो भी नियम व कानून बनते हैं। उनके व्यवहारिक पहलू पर कारोबारी नजरिया काउन्सिल के सामने नहीं आ पाता है। यदि प्रतिनिधित्व होगा तो प्रासंगिक कानून के बनाने के समय ही कारोबारियों की राय उनके व्यवहारिक अनुपालन पक्ष पर अवष्य चर्चा होगी। अन्ततोगत्वा उनके द्वारा ही जी0एस0टी0 कानूनों का अनुपालन होना है।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ प्रदेश